न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 25/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

सहीराम आत्मज श्री बीरबलराम, बावरी, चक ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

1. जगदीश आत्मज श्री चम्पालाल, बावरी, खिचियांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती कमला धर्मपत्नी श्री चम्पालाल, बावरी, खिचियांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर.
3. माडूराम,
4. रामलाल एवं
5. रामरख आत्मजन श्री बीरबलराम, बावरी, चक ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (आवेदक)
श्री मोहनलाल छाबड़ा (अनाावेदक)
राज्य प्रतिनिधि (अनावेदक–6)

दिनांक 27 अगस्त, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 1 डी. बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.074 हैक्टर में से 0.174 हैक्टर कृषि भूमि(जिसे आदेश के शेष भाग मे प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) आवेदक के भाई स्व. श्री मुखराम के नाम पर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी कृषि भमि दर्ज है. आवेदक के भाई श्री मुखराम की मृत्योपरान्त उसकी पत्नी अनावेदक संख्या 2 द्वारा श्री चम्पालाल से विवाह कर लिया गया जिससे अनावेदक संख्या 1 पुत्र होने से अनावेदक संख्या 1 व 2 का आवेदक के भाई श्री मुखराम की उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा एव न ही कभी कब्जा रहा है. आवेदक की माता श्रीमती काहनी धर्मपत्नी स्व. श्री बीरबल की भी मृत्यु हो चुकी है. इस प्रकार आवेदक एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 मृतक श्री मुखराम के द्वितीय श्रेणी के जायज वारिसान हैं. इसके अतिरिक्त मृतक श्री मुखराम के प्रथम श्रेणी का अन्य कोई जायज वारिस नहीं है. जिससे मृतक श्री मुखराम की कृषि भूमि उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसान पर डिवाल्व होने से आवेदक का उक्त 0.174 हैक्टर में से ¼ हिस्सा एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 प्रत्येक का ¼ हिस्सा बनता है. आवेदक के भाई श्री मुखराम की मृत्योपरान्त अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का विरासतन गलत एवं एकपक्षीय तौर पर नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 23 अप्रेल, 2014 करवाने के कारण उनके नाम पर दर्ज भूमि के परिणामतः लालचवश अनावेदक संख्या 3 से 5 को जबरन बेदखल करने तथा प्रश्नगत कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उनके नाम पर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने के लिये अन्तरित करने में प्रयासरत हैं. यदि अनावेदक संख्या 1 व 2 अपने उदेंश्य में सफल हो जाते हैं तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी प्रश्नगत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 23 अप्रेल, 2014 आवेदक एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य है. क्योंकि आवेदक एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 द्वितीय श्रेणी के वारिस होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर बराबर काबिज हैं तथा मौका पर आवेदक एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 की फसल काश्त शुदा है. अनावेदक संख्या 1 व 2 का श्री मुखराम के वंश से नाता समाप्त होने के कारण उनका प्रश्नगत कृषि भूमि पर कोई हक व हिस्सा नही बनता. यदि अनावेदक संख्या 1 व 2 अपने उदेंश्य में सफल हो जाते हैं तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा वादपत्र का उदृेश्य ही समाप्त हो जायेगा अतिरिक्त मौका पर कभी कोई अप्रिय घटना घटित होकर जान माल को क्षति हो सकती है. इसलिये वादपत्र के निस्तारण तक आवेदक एवं अनावेदक संख्या 3 से 5 के हितों की सुरक्षा के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक है. इस प्रकार आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 1 व 2 के विरूद्व चक 1 डी. बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.074 हैक्टर में से 0.174 हैक्टर कृषि भूमि से अनावेदक संख्या 3 से 5 को जबरन बेदखल नहीं करने एवं बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 की चित्रित प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 4 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस की पावती प्राप्त होने पर उसे रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 31 मई, 2017 द्वारा अनावेदक संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 3 एवं 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

अनावेदक संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 7 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदनपत्र के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने के कथन अंकित करते हुऐ राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहे जाने के तथ्य अंकित किये गये.

अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 14 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया जिसके द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है. अनावेदक संख्या 1 के पिता स्व. श्री मुखराम के नाम से प्रश्नगत कृषि भूमि चक 1 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 की 0.174 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिनकी मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 व 2 में डिवाल्व हो गयी. वर्तमान में प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण अनावेदक संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि पर अनावेदक संख्या 1 काबिज है. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में यह अंकित नही किया गया है कि श्री मुखराम की मृत्यु कब

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

हुई एवं अनावेदक संख्या 1 का जन्म कब हुआ? किन्तु श्री मुखराम की मृत्यु दिनांक 6 जून, 1990 को हुई तथा अनावेदक संख्या 1 का जन्म दिनांक 6 दिसम्बर, 1989 को हुआ. इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 स्व. श्री मुखराम एवं अनावेदिका संख्या 2 का पुत्र है. श्री मुखराम की मृत्योपरान्त अनावेदिका संख्या 2 के श्री चम्पालाल से पुर्नविवाह करने से अनावेदिका संख्या 2 के विरासतन अधिकार समाप्त नहीं होते. इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 साधिकार बतौर खातेदार प्रश्नगत कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है. स्व. श्री मुखराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान उपलब्ध होने के उपरान्त द्वितीय श्रेणी के वारिसान का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है. अनावेदक संख्या 1 स्व. श्री मुखराम का विधिक पुत्र है और बतौर पुत्र विरासतन भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है. अनावेदिका संख्या 2 मृतक श्री मुखराम की बरवक्त मृत्यु विवाहिता धर्मपत्नी थी श्री मुखराम की मृत्योपरान्त विरासतन डिवाल्व हुई सम्पत्ति से अनावेदिका संख्या 2 को किसी भी विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता. अनावेदकगण प्रश्नगत कृषि भूमि को साधिकार उपयोग एवं उपभोग करने के विधिक अधिकारी हैं, खातेदार एवं काबिज काश्तकारी के विरूद्व किसी भी प्रकार से अपेक्षित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. आवेदक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती एवं न ही वादबाहुल्यता बढे का ही कोई अन्देशा है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. अतिरिक्त कथनो में अंकित किया गया कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया जिसके द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है. इसलिये आवेदक किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. मूल वाद गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं होने के कारण विचाराधीन आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रश्नगत कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार अनावेदक संख्या 1 व 2 हैं तथा विधि अनुसार उनके विरूद्व किसी भी आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, इसलिये भी विचाराधीन आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा विचाराधीन आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब ओवदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री जगदीशकुमार का आधार कार्ड संख्या 6277 4858 1039, श्री जगदीशकुमार का निर्वाचन पहचानपत्र संख्या KPQ/1374560, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट, चूनावढ द्वारा जारी कक्षा 8 की परीक्षा के प्रमाणपत्र एवं अंकतालिका, श्री जगदीशकुमार के नाम पर जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 200001226473, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका नामांकन संख्या 4843461, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका नामांकन संख्या 1594438, विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र दिनांक 31 अगस्त, 2015, भामाशाह संख्या 9999 जी3बी.एन. 00035, सरपंच, ग्राम पंचायत, ओडकी द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 25 मई, 2014, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी.ए. तृतीय की अंकतालिका, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी.एड. की अंकतालिका, जगदीशकुमार के नाम पर जारी मूल निवास प्रमाणपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 2001, श्री मुखराम का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2007, जाति प्रमाणपत्र संख्या 430 दिनांक 16 जून, 2006, श्री माडूराम का निर्वाचन पहचानपत्र संख्या RJ/01/007/069671 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

अनावेदक संख्या 4 द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2017 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन पत्रावली में अनावेदक संख्या 4 के विरूद्व दिनांक 31 मई, 2017 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. जबकि अनावेदक संख्या 4 को कोई नोटिस नहीं मिला व न ही अनावेदक संख्या 4 को तारीख पेशी का पता चला. अब दो रोज पूर्व अनावेदक संख्या 4 को पता चला कि उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. पता चलते ही अनावेदक संख्या 4 द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत कर रहा है. अनावेदक संख्या 4 द्वारा जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया, मामला प्रारम्भिक स्तर पर है इसलिये अनावेदक संख्या 4 को जवाब आवेदनपत्र एवं सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है. इस प्रकार अनावेदक संख्या 4 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर सबूत एवं जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया. जिस पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया.

अनावेदक संख्या 4 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदनपत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार किया जाकर आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2006(2) RRT 1085 Gulab vs Board of Revenue & ors.
1972 RRD 263 Kalu vs Narbadi
1969 RRD 055 Shera vs Smt. Jeo

का सादर अवलोकन किया गया.

प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार स्व. श्री मुखराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अनावेदक संख्या 1 व 2 उपलब्ध होने के परिणामतः आवेदक, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी, को प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं होने के कारण सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया वादकरण आवेदक के पक्ष में सिद्व नहीं पाये जाते. ऐसी स्थिति में, आवेदक किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

अतः आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 27 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर